संख्या-593/2017/1870/22-2-2016-17(239)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 जुलाई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीराम पुत्र श्री धरमसिंह निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीराम पुत्र श्री धरमसिंह, निवासी-किशोरपुर, थाना-हस्तिनापुर, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। 1- इकवारा गांव के जंगलों में दिनांक 05.01.1997 को 06 हरिजनों की हत्या किये जाने का बदला लिये जाने के लिये बन्दी नें 07 सहअभियुक्तों के साथ पुलिस की वर्दी में दिनांक 16/17.01.1997 की रात्रि में गोलियां चलाकर 02 लोगों की हत्या की एवं 03 को घायल किया इसके बाद करतार सिंह के घर में 04 लोगों की हत्या की। 2- बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15.11.1997 को प्रात: लगभग 05:30 बजे मवाना जाने के लिये बस का इन्तजार कर रहे जन्मसिंह की तमन्चों से गोली मारकर हत्या कर दी। 3- बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18.02.1996 को अपने परिवार के साथ मवाना जा रही श्रीमती बानों, मुस्तकीम, फरमान एवं मुनव्वर की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराधों हेतु 1- बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-864/97 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-02), मेरठ के आदेश दिनांक 28.08.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। 2- बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-863/97 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 21.04.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। 3- बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1043/1997 में भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 22.10.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.02.2016 तक 18 वर्ष 08 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 02 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त वर्ष 2015 में जमानत पर रिहा हो चुके हैं, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि 1- इकवारा गांव के जंगलों में दिनांक 05.01.1997 को 06 हरिजनों की हत्या किये जाने का बदला लिये जाने के लिये बन्दी नें 07 सहअभियुक्तों के साथ पुलिस की वर्दी में दिनांक 16/17.01.1997 की रात्रि में गोलियां चलाकर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

02 लोगों की हत्या की एवं 03 को घायल किया इसके बाद करतार सिंह के घर पर 04 लोगों की हत्या की। 2- बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15.11.1997 को प्रात: लगभग 05:30 बजे मवाना जाने के लिये बस का इन्तजार कर रहे जन्मसिंह की तमन्चों से गोली मारकर हत्या कर दी। 3- बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18.02.1996 को अपने परिवार के साथ मवाना जा रही श्रीमती बानों, मुस्तकीम, फरमान एवं मुनव्वर की गोली मारकर हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्रीराम पुत्र श्री धरमसिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी श्रीराम (बन्दी संख्या-13481) पुत्र श्री धरमसिंह निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-593/2017/1870(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-593/2017/1870/22-2-2016-17(239)/2017

दिनांक 27 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीराम पुत्र श्री धरमसिंह, निवासी-किशोरपुर, थाना-हस्तिनापुर, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। 1- इकवारा गांव के जंगलों में दिनांक 05.01.1997 को 06 हरिजनों की हत्या किये जाने का बदला लिये जाने के लिये बन्दी नें 07 सहअभियुक्तों के साथ पुलिस की वर्दी में दिनांक 16/17.01.1997 की रात्रि में गोलियां चलाकर 02 लोगों की हत्या की एवं 03 को घायल किया इसके बाद करतार सिंह के घर में 04 लोगों की हत्या की। 2- बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15.11.1997 को प्रात: लगभग 05:30 बजे मवाना जाने के लिये बस का इन्तजार कर रहे जन्मसिंह की तमन्चों से गोली मारकर हत्या कर दी। 3- बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18.02.1996 को अपने परिवार के साथ मवाना जा रही श्रीमती बानों, मुस्तकीम, फरमान एवं मुनव्वर की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराधों हेतु 1-बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-864/97 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-02), मेरठ के आदेश दिनांक 28.08.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। 2- बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-863/97 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 21.04.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। 3- बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1043/1997 में भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 22.10.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.02.2016 तक 18 वर्ष 08 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 02 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त वर्ष 2015 में जमानत पर रिहा हो चुके हैं, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि 1- इकवारा गांव के जंगलों में दिनांक 05.01.1997 को 06 हरिजनों की हत्या किये जाने का बदला लिये जाने के लिये बन्दी नें 07 सहअभियुक्तों के साथ पुलिस की वर्दी में दिनांक 16/17.01.1997 की रात्रि में गोलियां चलाकर 02 लोगों की हत्या की एवं 03 को घायल किया इसके बाद करतार सिंह के घर पर 04 लोगों की हत्या की। 2- बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15.11.1997 को प्रात: लगभग 05:30 बजे मवाना जाने के लिये बस का इन्तजार कर रहे जन्मसिंह की तमन्चों से गोली मारकर हत्या कर दी। 3- बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18.02.1996 को अपने परिवार के साथ मवाना जा रही श्रीमती बानों, मुस्तकीम, फरमान एवं मुनव्वर की गोली मारकर हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्रीराम पुत्र श्री धरमसिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in